भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3232
दिनांक 20 मार्च, 2025

पेट्रोलियम उत्पादों की दैनिक खपत

†3232. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में पेट्रोलियम तेल की दैनिक खपत कितनी है;

(ख) देश भर में उत्पादित और कारों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोलियम तेलों के प्रकार क्या हैं;
(ग) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की दरें तय करने के लिए कोई मापदंड हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
(घ) इन उत्पादों की दरें तय करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी प्रणाली मौजूद है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी तक) के लिए एमएस (पेट्रोल), एचएसडी (डीजल), एलपीजी, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) आदि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	वार्षिक खपत (एमएमटी)	दैनिक खपत (एमएमटी)
2024-25 (फरवरी-25 तक)	218.3	0.654

(ख) एमएस, एचएसडी और ऑटो एलपीजी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद हैं जिनका उत्पादन और उपयोग देश भर में कारों में किया जाता है।

(ग) से (घ) पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसीज) कच्चे तेल के मूल्य, अंतरराष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य, विनिमय दरें, कर संरचनाएं, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बीमा आदि विभिन्न कारकों के आधार पर उनके मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लेती हैं। इसके अलावा, देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से सम्बद्ध है।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गतमोटर स्प्रिटट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम का विनियमन) आदेश, 2005 भी जारी किया है, जो पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट जैसी कदाचार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। इसके अलावा, जून, 2022 में, सरकार ने

उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध ईंधन आपूर्ति प्रदान करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों के खुदरा बिक्री केन्द्रों सहित सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों तक सार्वभौमिक सेवा दायित्वों (यूएसओ) का दायरा बढ़ा दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप पर अनियमितताओं या कदाचार की जाँच के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) तैयार किया है और कार्यान्वित किया है। एमडीजी दिशानिर्देशों और डीलरशिप समझौते के अनुसार दोषी डीलरों के विरुद्ध साबित अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की जाती है।

अनियमितताओं/कदाचारों की जाँच के लिए तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर खुदरा बिक्री केन्द्रों पर नियमित/औचक निरीक्षण किया जाता है तथा विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों और डीलरशिप समझौते के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) गुणवत्ता जाँच और एमएस/एचएसडी की सही मात्रा की डिलीवरी के लिए फिल्टर पेपर, कैलिब्रेटेड घनत्व उपकरण (हाइड्रोमीटर/थर्मामीटर) और 5 लीटर कैलिब्रेटेड माप की उपलब्धता।

(ii) पूरे देश में तेल विपणन कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों/गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (क्यूआरसी) दलों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित/औचक निरीक्षण किया जाता है। अनियमितताओं के मामले में, एमडीजी और डीलरशिप समझौते के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(iii) ओएमसी मोबाइल प्रयोगशालाओं द्वारा औचक निरीक्षण, जिसमें खुदरा बिक्री केन्द्रों से पेट्रोल और डीजल के नमूने लिए जाते हैं और उनकी जाँच की जाती है।

(iv) सही मात्रा सुनिश्चित करने और डिस्पेंसिंग इकाइयों से छेड़छाड़ से बचने के लिए, माप-तौल विभाग द्वारा डिस्पेंसिंग इकाइयों को समय-समय पर कैलिब्रेट और सील किया जाता है।

(v) अधिकृत प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों से यादृच्छिक नमूना लिया जाता है।

(vi) एमएस/एचएसडी ले जाने वाले टैंक ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जीपीएस का इंस्टालेशन।

(vii) कंपनी परिसर से निकलने से पहले टैंक ट्रकों को सील कर दिया जाता है ताकि रास्ते में चोरी/मिलावट से बचा जा सके। खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेट्रोल/डीजल पहुंचाने वाले टैंक ट्रकों में छेड़छाड़-रोधी लॉकिंग सिस्टम शुरू किया गया है। मिलावट की संभावना वाले बिंदु का पता लगाने में मदद के लिए 3-स्तरीय नमूनाकरण प्रणाली का पालन किया जाता है।

(viii) आरओ प्रचालनों की बेहतर निगरानी के लिए डेटा एकत्र करने हेतु सभी सक्रिय खुदरा बिक्री केन्द्रों का ऑटोमेशन करना। दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियों ने कुल 84882 रिटेल आउटलेट्स में से 80471 बिक्री केन्द्रों पर ऑटोमेशन कार्य पूरा कर लिया है।

*****